

294

संख्या:- साम्नीय राजस्व मंडल ग्वालियर केण सागर

R4084-I-16

1. रामधरन बल्द वल्लु दरउआ लोधी
- 20 हुलीचंद फौत वारिस
2. पूरन बल्द हुलीचंद लोधी
3. बिहारी बल्द हुलीचंद लोधी
4. चतारा बल्द सोहन लोधी
5. फुल्ले बल्द सोहन लोधी

सभी जिलागी-ग्राय बडायेरा फुल्लारी तहसील बडाफलहरा जिला छतरपुर
... पुनरीक्षणकर्तागण

II विशद II

1. जशरथ सींग बल्द पृथ्वी सींग ठापुर
2. रतिशर बल्द मुन्ना लोधी
3. छन्दभान बल्द रज्जू लोधी
4. मानसिंह बल्द रज्जू लोधी

सभी जिलागी-ग्राय बडायेरा फुल्लारी तहसील बडाफलहरा जिला छतरपुर
... उत्तरवादीगण

पुन. प्र. सं.

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण निम्न प्रार्थना करते हैं:-

पुनरीक्षणकर्तागण ने यह पुनरीक्षण माननीय अनुविभागीय अधिकारी 00000 बडाफलहरा जिला छतरपुर द्वारा राजस्व अधील प्र० सं० 123अ/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6. 10. 16 से परिचेदित होकर निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

II पुनरीक्षण के आधार II

1. यह कि, माननीय अनुविभागीय अधिकारी बडाफलहरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6. 10. 16 से 00000000 गलत आधारहीन एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी के संख्य दिनांक 15. 2. 15 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि इस मासूमि से संबंधित सिविल रिवीजन नं. 318/15

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten notes on the right margin.

16.3.88/2016
मिस्टर प्रतिसिध

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4084-एक/2016 निगरानी


जिला छतरपुर

थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अगि आदि के हस्ता.
31.11.17	<p>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 123 /2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-10-16 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ निगरानी की ग्राहयता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि वादग्रस्त जमीन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 3-9-15 को स्थगन जारी हुआ है जिसके प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा से आग्रह किया गया था कि वह मान.उच्च न्यायालय के आदेश के कारण प्रकरण की कार्यवाही रोक दें, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये प्रकरण साक्ष्य में नियत करने की भूल की है।</p> <p>4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 123 /2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6-10-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 9-9-16 को प्रकरण में अंतिम तर्क सुनकर आदेश हेतु नियत किया था किन्तु मामला कब्जे के विवाद का संज्ञान में आने के कारण उन्होंने प्रकरण में उभय पक्ष की साक्ष्य लेना उचित समझा है। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने का प्रश्न है ? माननीय उच्च न्यायालय</p>	



प्र.क. 4084-एक/2016 निगरानी

के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 123 /2014-15 अपील में की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है। परिणाम-स्वरूप निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।


सदस्य

R
2/14